मानननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में पटना शहर में हाल में हुए जल–जमाव की समीक्षा हेतु दिनांक–14.10.2019 को आहूत बैठक की कार्यवाही

बैठक में सर्वप्रथम नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना शहर के जल–जमाव की स्थिति के संबंध में powerpoint presentation दिया गया। बैठक में उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण द्वारा भी पटना में उक्त अवधि में हुए जल–जमाव के संबंध में बताया गया। तत्पश्चात् सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा पटना में हुए जल–जमाव के स्थिति के संबंध में अग्रलिखित निदेश दिये गये।

2. पटना शहर में जल–जमाव के कारणों की जाँच करने, दोषी पदाधिकारियों को चिन्ह्ति करने एवं भविष्य की योजना के संबंध में प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निदेश दिया गया, जो एक माह के अन्दर जाँच कर प्रतिवेदन एवं अनुशंसा समर्पित करेगी।

(अनुपालन–गृह विभाग)

3. पटना शहर में जल–जमाव की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए Scientific Data तथा Scientific Analysis यथा Contour Mapping, Gravity Flow, Hydraulic Data आदि के आधार पर विस्तृत कार्य योजना इत्यादि तैयार करने का निदेश दिया गया, जिसमें पटना नगर निगम के अलावा निकटवर्ती क्षेत्र यथा दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ के नगर क्षेत्रों एवं अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाय। इस सर्वे के आधार पर पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थायी रूप से जल–जमाव से मुक्त करने हेतु short term, medium term एवं long term planning तैयार किये जाने का निदेश दिया गया। Short term के अन्तर्गत दिये जाने वाले उपायों को हर हालत में मई 2020 तक पूरा कर लिया जाय ताकि अगले मॉनसून में जल–जमाव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। Medium एवं Long term plan के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु मई 2020 तक कार्य प्रारम्भ कर लेने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–नगर विकास एवं आवास विभाग/बुडको, पटना/पटना नगर निगम)

4. बादशाही पईन, जो दक्षिणी पटना के क्षेत्र से जल निकासी का मुख्य स्त्रोत है, के संबंध में निदेश दिया गया कि बादशाही पईन पर अतिक्रमण की शीघ्र मापी करा कर अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध ठोस कार्रवाई करते हुए कार्य योजना बनाकर इसे अतिक्रमणमुक्त कराया जाय।

(अनुपालन–जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल/पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना)

5. पटना शहर में अवस्थित बड़े नालों यथा–कुर्जी नाला, मंदिरी नाला, बाकरगंज नाला, सैदपुर नाला, सरपेन्टाईन नाला, पटेलनगर नाला, बादशाही नाला, ए0एन0

कॉलेज नाला जैसे बड़े नालों को अतिक्रमणमुक्त कराते हुए जीर्णोद्धार एवं पक्कीकरण कराने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन–नगर विकास एवं आवास विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल/पुलिस महानिरीक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना)

6. बैठक में जल्ला क्षेत्र के कुछ भाग को आवासीय क्षेत्र घोषित किये जाने की सूचना दी गयी, इसकी समीक्षा करने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन–नगर विकास एवं आवास विभाग)

7. नगर विकास एवं आवास विभाग में शहरी अभियंत्रण संगठन का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी शहरी निकायों में drainage system आदि का कार्य किया जाना है। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग में स्वीकृत अभियंताओं के पदों को शीघ्र भरने का निदेश दिया गया एवं नगर निकायों को भी स्वीकृत पद के अनुसार अभियंताओं की सेवा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्त अभियंताओं की सेवा स्थायी रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में ही समायोजित किये जाने के संबंध में शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन–नगर विकास एवं आवास विभाग)

8. पटना नगर निगम, बुडको, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु रिक्त पदों को भरने हेतु अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन–नगर विकास एवं आवास विभाग/पटना नगर निगम/बुडको, पटना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार)

9. पटना शहर में अवस्थित बड़े covered drains यथा– बोरिंग कैनाल नाला, आशियाना दीघा रोड नाला आदि की नियमित रूप से व्यापक तथा प्रभावकारी सफाई करने हेतु शीघ्र कार्य योजना बनाने तथा इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। **(अनुपालन–पटना नगर निगम)**

10. बैठक में बताया गया कि इस बार पटना में जल–जमाव के कारण कुछ क्षेत्रों में संभावित खतरे की आशंका के कारण विद्युत की आपूर्ति बंद करना पड़ा था। प्रधान सचिव, उर्जा विभाग को निदेश दिया गया कि जल प्रभावित क्षेत्रों में Transformers, Substation आदि का अधिष्ठापन इस प्रकार किया जाय कि जल–जमाव की स्थिति में भी विद्युत आपूर्ति बाधित करने की बाध्यता नहीं रहे।
(अनुपालन– ऊर्जा विभाग)

11. अगले मॉनसून से पूर्व सभी सम्प हाउॅस के लिए अतिरिक्त आवश्यक संख्या एवं क्षमता के मोटर पम्प इत्यादि का क्रय, सभी सम्प हाउॅस का जीर्णोद्धार एवं पूर्ण रख–रखाव, सम्प हाउॅस में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। साथ ही

electrical panel, मोटर प्लेटफार्म को भी उच्च स्थान पर रखने का कार्य तुरन्त प्रभाव से किया जाय।

(अनुपालन– बुडको, पटना)

12. वैसे छोटे सम्प हाउॅस, जो वर्त्तमान में PHED के नियंत्रण में है, उसे भी नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रण में ही रखने हेतु उचित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– बुडको, पटना)

13. बैठक में बताया गया कि रेलवे लाईन के उत्तर अवस्थित बिस्कोमान कॉलोनी एवं गंगा ब्रिज पर जाने वाले approach road के आस–पास मेन रेलवे लाईन के पास कूड़ा डम्पिंग-प्वाईट है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस पर चिन्ता व्यक्त की गई कि रेलवे लाईन के निकट अवस्थित उस कूड़ा डम्पिंग प्वाइंट में धुआँ/आग लगा रहता है, जिससे कभी भी भीषण हादसा हो सकता है। निदेश दिया गया कि तुरन्त प्रभाव से कूड़ा डम्पिंग प्वाइंट को हटवाने की कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन–पटना नगर निगम)

14. यह भी निदेश दिया गया कि पटना के अलावा राज्य के अन्तर्गत अन्य शहरों में भी जल–जमाव की स्थिति से निपटने हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शीघ्र प्रस्ताव तैयार करते हुए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाए।

(अनुपालन–नगर विकास एवं आवास विभाग/बुडको, पटना)

31/10/19

(आनन्द किशोर),
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांकः– 2ब0/ना0नि0–02–02/2019 5659 पटना, दिनांक– 31/10/2019

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। 31/10/19

ज्ञापांकः– 2ब0/ना0नि0–02–02/2019 5659 पटना, दिनांक– 31/10/2019

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। 31/10/19

ज्ञापांकः– 2ब0/ना0नि0–02–02/2019 5659 पटना, दिनांक– 31/10/2019

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। 31/10/19

ज्ञापांकः— 2ब0/ना0नि0—02—02/2019 5659 पटना, दिनांक— 31/10/2019

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, जल संसाधन विभाग/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना—सह—अध्यक्ष स्मार्ट सिटी, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, पटना/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/10/19

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— 2ब0/ना0नि0—02—02/2019 5659 पटना, दिनांक— 31/10/2019

प्रतिलिपिः— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

31/10/19

सरकार के सचिव।